P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-III*November-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय अभ्यारण्यों एवं उद्यानों में पर्यटन उद्योग की चुनौतियाँ तथा संभावनाएँ

डी0 पी0 सकलानी
प्रोफेसर,
इतिहास एवं पुरातत्व विभाग,
हे0न0ब0ग0वि0वि0,
गढ़वाल, उत्तराखण्ड

धर्मेन्द्र यादव
शोध छात्र,
इतिहास एवं पुरातत्व विभाग,
हे0न0ब0ग0वि0वि0,
गढ़वाल, उत्तराखण्ड

सारांश

भारत में हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है। इसके अलौकिक सौन्दर्य के कारण उत्तराखण्ड प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। अपने गठन के पूर्व से ही यह राज्य–क्षेत्र पर्यटकों एवं बाह्य पर्यवेक्षकों की दृष्टि में एक विशिष्ट पहचान बना चुका था। स्वतन्त्र अस्तित्व में आने के पश्चात् यह पर्यटन के क्षेत्र में राज्य के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाने लगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बागेश्वर, जागेश्वर, एवं हेमकुण्ड साहिब आदि तीर्थस्थलों के कारण यह राज्य प्रारम्भिक काल से ही तीर्थ–यात्रियों एवं पर्यटकों के तीर्थाटन एवं पर्यटन के महत्वपूर्ण केन्द्रीय स्थानों में रहा है। किन्तु वर्तमान समय में उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय अभ्यारण्यों एवं उद्यानों की प्राकृतिक छटा ने पर्यटकों को अपनी ओर अत्यन्त तीव्र गति से आकर्षित किया है। यद्यपि प्राकृतिक भौगोलिक परिवेश एवं आर्थिक संसाधनों के अभाव में इनका पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है तथापि पर्यटकों की बढ़ती संख्या एवं पर्यटकों के इनके प्रति आकर्षण ने रोजगार एवं आर्थिक उन्नति के समृद्ध माध्यम के रूप में नवीन अवसरों का मार्ग सृजित किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी दिशा में उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय अभ्यारण्यों एवं उद्यानों में पर्यटन उद्योग की चुनौतियों एवं सम्भावनाओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पर्यटन उद्योग, चुनौतियाँ तथा संभावनाएँ

प्रस्तावना

प्राकृतिक वन सम्पदा से समृद्ध उत्तराखण्ड राज्य को भारत के 27 वें राज्य के रूप में 9 नवम्बर सन् 2000 को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई। भारत देश के मध्य–हिमालय में स्थित उत्तराखण्ड 11 वां हिमालयी राज्य है जिसका क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किमी0 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का 18वां राज्य है। इसकी कुल जनसंख्या 10,116,752 हैं।[1] राज्य प्रशासनिक दृष्टि से 13 जनपदों में विभाजित है– देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, रूद्रप्रयाग, चम्पावत तथा बागेश्वर। राज्य को दो मण्डलों में विभाजित किया गया है–कुमाऊँ मण्डल तथा गढ़वाल मण्डल। कुमाऊँ में 6 जनपद तथा गढ़वाल जनपद में 7 जनपद आते है। राज्य में 78 तहसीलें तथा 95 विकासखण्ड आते है। राज्य में विधानसभा की कुल सीटों में पाँच जनजाति समुदाय निवास करते है–वनराजी, थारू, बोक्सा, भोटिया तथा जौनसारी।[2] यह राज्य नदियों का उद्गम क्षेत्र भी माना जाता है। यहीं से गंगा, यमुना तथा काली आदि नदियाँ निकलती है। हिमालय में स्थित नन्दा देवी पर्वत (7817 मीटर) इस राज्य की सबसे ऊँची चोटी है।[3]

अभ्यारण्य दो शब्दों के योग से बना है अभय + अरण्य। अभय का अर्थ है निर्भीक तथा अरण्य का अर्थ है जंगल या वन। अर्थात् जिसमें समस्त जीव–जन्तु स्वतन्त्र रूप से निर्भीकता पूर्वक विचरण एवं अपनी वंश–वृद्धि कर सकें ये पारिस्थितिकी; जीव–जगत, प्राकृतिक तथा जीव विज्ञान की दृष्टि से पर्याप्त महत्व के क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवों तथा उनके वास स्थलों के संरक्षण, प्रतिवर्धन तथा विकास के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आरक्षित घोषित एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो ऐसे क्षेत्रों को अभ्यारण्य कहते है।[4]

सरकार अथवा किसी भी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु–विहार या पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहते है। इनका उद्देश्य जीव–जन्तु, पशु–पक्षी एवं वन–संपदा को संरक्षित करना, उसका विकास करना व शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी मदद लेना होता है।इसी प्रकार राष्ट्रीय उद्यान के सन्दर्भ में कहा

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-III*November-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

जा सकता है कि, परिस्थितिकी, जीव–जगत, प्राकृतिक तथा जीव विज्ञान की दृष्टि से पर्याप्त महत्व के ऐसे क्षेत्र चाहे वह किसी अभ्यारण्य के अन्तर्गत आते हो या नहीं, वन्य जीवों तथा उनके वास स्थलों के संरक्षण, प्रतिवर्धन तथा विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोशित किया जाता है।[5]

अध्ययन के उद्देश्य

1. उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय अभ्यारण्यों का अध्ययन करना।
2. उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय उद्यानों का अध्ययन करना।
3. उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय अभ्यारण्यों एवं उद्यानों में पर्यटन उद्योग की चुनौतियों का अध्ययन करना।
4. उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय अभ्यारण्यों एवं उद्यानों में पर्यटन उद्योग की संभावनाओं का अध्ययन करना।

राष्ट्रीय उद्यान का तात्पर्य उन प्राकृतिक तथा अर्द्ध–प्राकृतिक स्थानों से है जहॉ पर वन्य जीव, पशु–पक्षी एवं वनस्पतियों का सरंक्षण किया जाता है। इसके अन्तर्गत वनों को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन विभाग के अन्तर्गत किसी अधिकारी के नियंत्रण में रहता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी प्रकार की भी छेड़–छाड़ नहीं की जा सकती, स्थानीय लोगों को कुछ अधिकार दिये जाते हैं, लेकिन उसके लिए केन्द्र से विशेष प्रार्थना करनी होती है।[6]

बायोस्फियर रिजर्व

सांकेतिक रूप से मानव व उसके पर्यावरण के बीच स्वस्थ सम्बध स्थापित करने के लिए जो ज्ञान व उत्सुकता दर्शाई जाती है उसी को बायोस्फियर की अवधारण कहा जाता है। बायोस्फियर रिजर्व एक नया विचार है। जो लगभग 30 वर्ष पूर्व ही अस्तित्व में आया। 82 प्रतिशत बायोस्फियर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यानों में ही स्थापित किए गए है। यह अन्तर्राष्ट्रीय रूप में नामित संरक्षित क्षेत्र है जिसका प्रबन्ध संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए किया जाता है।[7]

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 ई0 में भारतीय वन्य जीव परिषद का गठन किया गया। जिसका मुख्य कार्य देश में विभिन्न अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और चिड़ियाघरों की स्थापना करना था। परिषद की सिफारिशो के आधार पर 1952 ई0 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई इस अधिनियम के द्वारा बिरले तथा लुप्तप्रायः जीवों के लिए विस्तृत अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को स्थापित करके संरक्षण प्रदान करने पर बल दिया गया। बढ़ते हुए पर्यावरणीय संकट को देखते हुए सरकार ने वन्य जीवों के लिए व्यापक संरक्षण अधिनियम पारित किया।[8]

उत्तराखंड के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य

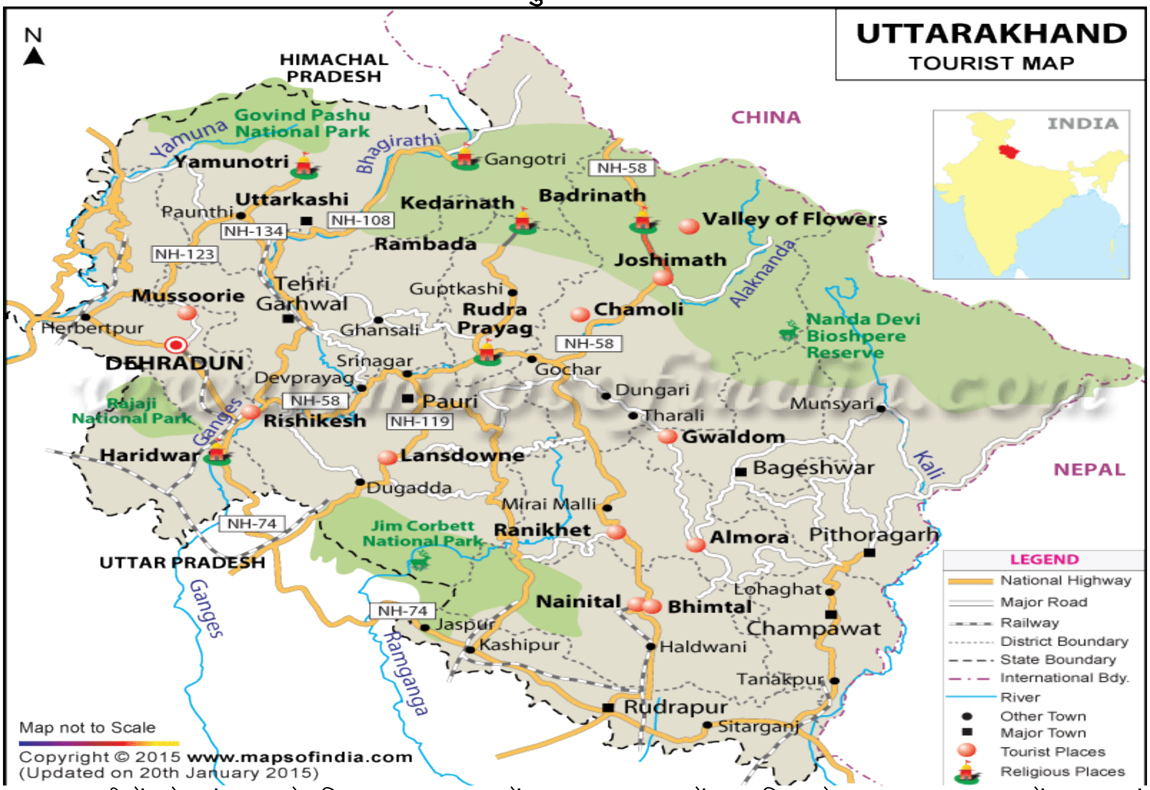

वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उत्तराखण्ड में छः राष्ट्रीय उद्यान, छः वन्य जीव विहार, दो संरक्षण आरक्षित, एक उच्च स्थलीय प्राणि उद्यान तथा एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। राज्य में प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंन्द्र के रूप में 1935 ई0 में देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी जो कि 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया। सन् 1936 में उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में दक्षिणी पूर्वी एशिया का पहला राष्ट्रीय पार्क ''हेली नेशनल पार्क'' नाम से स्थापित किया गया जिसे वर्तमान समय में कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। कार्बेट नेशनल पार्क देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कार्बेट नेशनल पार्क में भारत सरकार

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-III*November-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

की बाघ परियोजना का शुभारंभ 1 नवम्बर, 1973 में किया गया।[9]

राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार बनाने का उद्देश्य विलुप्त होती प्रजातियों, जीवों व जन्तुओं का संरक्षण करना है।

उत्तराखण्ड में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव विहार हैं

गोविन्द वन्य जीव विहार, केदार वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार, सोना नदी वन्य जीव विहार, बिनसर वन्य जीव विहार, विनोग माउन्टेंन क्लेव वन्य जीव विहार, कार्बेट नेशनल पार्क, रामनगर (सन् 1936 में स्थापित), गोविन्द राष्ट्रीय उद्यान (सन् 1980 में स्थापित), नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान (सन् 1982 में स्थापित), फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (सन् 1982 में स्थापित), राजाजी राष्ट्रीय उद्यान (सन् 1983 में स्थापित), गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान (सन् 1989 में स्थापित)।[10]

संरक्षण आरक्षित क्षेत्र

आसन संरक्षण आरक्षित

यह 4·44 वर्ग किमी0 क्षेत्र में सन् 2005 में स्थापित आसन संरक्षण आरक्षित जनपद देहरादून में स्थित है।

झिलमिल संरक्षण आरक्षित

37·83 वर्ग किमी0 क्षेत्र में सन् 2005 में स्थापित झिलमिल संरक्षण आरक्षित जनपद हरिद्वार में स्थित है। यहाँ बारहसिंहा मिलते है।[11]

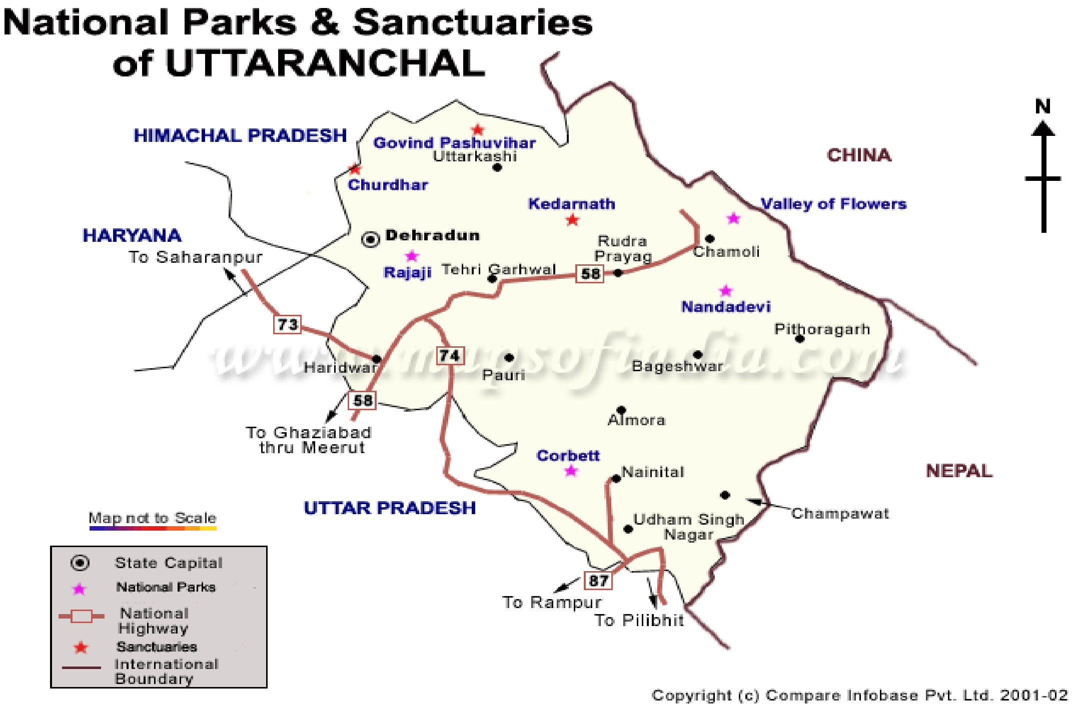

Copyright (c) Compare Infobase Pvt. Ltd. 2001-02

जिम कार्बेट नेशनल पार्क

21 अक्टूबर 1927 की अधिसूचना द्वारा कुछ वन्य पशु–पक्षियों की प्रजाति को संरक्षित कर दिया गया, जिसमें पक्षियों की तीस प्रजातियां थी। 1935 में सरकार तथा कुछ जीव प्रेमियों के प्रयासों से भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अस्तित्व में आया। इसके लिए संयुक्त प्रान्त की सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम बनाया। तत्कालीन संयुक्त प्रान्त के गर्वनर हेली के नाम पर हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया लेकिन जिम कार्बेट की स्मृति में सन् 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता तथा उसके संरक्षण का एक सराहनीय उदाहरण है।[12] राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र सं0–15–1/2009–ntc (cart) दिनांक 09 नवम्बर, 2009 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित कार्बेट नेशनल पार्क के क्षेत्र को 'टाइगर रिजर्व' घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी थी।[13]

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान

जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्र भारत के पहले तथा अंतिम गर्वनर जनरल श्री राजगोपालाचारी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। वन्य जीव अधिनियम 1972, अधिनियम संख्या–53 वन –1972 की धारा 35 की उपधारा 1 के आधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 5440/14-3-84/76, दिनाँक 12 अगस्त, 1983 द्वारा निर्गत किया गया था।[14] हिमालय की शिवालिक श्रेणियों की तलहटी पर स्थित 820.42 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में तीन अभ्यारण्य व अन्य आरक्षित वन आते है जिनके क्षेत्रफल निम्नलिखित है।

1. मोतीचूर– 89.5540 वर्ग किमी,
2. राजाजी– 246.5329 वर्ग किमी,

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-III*November-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

3. चिल्ला– 248.9480 वर्ग किमी,
4. अन्य आरक्षित वन – 234.3870 वर्ग किमी,
5. कुल योग– 820.4219 वर्गकिमी।

भौगोलिक स्थिति

यह उद्यान उत्तराखण्ड के तीन विभिन्न जनपदो के क्षेत्रो से बना है – देहरादून, हरिद्वार, तथा पौड़ी। इसकी पश्चिमी सीमा पर दिल्ली–मोहन्ड देहरादून राजमार्ग तथा पूर्वी सीमा पर रवासन नदी है, भौगोलिक विभिन्नता की दृष्टि से उद्यान को तीन भागों में विभाजित किया गया है–

1. शिवालिक,
2. शिवालिक के ढाल,
3. दून घाटी

गंगा की सहायक नदियाँ सौंग, सुस्वा, रवासन और बहुत सी जलधाराएँ जैसे– मोहन्ड, सुख, चिल्लावाली, गज, अंधेरी, ढोलखण्ड, मल्लावाली, वन, बेटवन और बाघ इस उद्यान में बहती है।

उद्यान में सात प्रवेश द्वार हैं जिनका विवरण है–

1. रामगढ़ –देहरादून से 14 किमी0 पर स्थित,
2. मोहन्ड– देहरादून से 25 किमी0 पर स्थित,
3. रानीपुर– हरिद्वार से 9 किमी0 पर स्थित,
4. मोतीचूर– हरिद्वार से 9 किमी0 पर स्थित,
5. चिल्ला– हरिद्वार से 8 किमी0 पर स्थित,
6. कुन्नाव– ऋषिकेश से 6 किमी0 पर स्थित,
7. लालढांग– कोटद्वार से 25 किमी0 पर स्थित।[15]

नन्दादेवी जीव मण्डल आरक्षित क्षेत्र

नंदा देवी भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊँची चोटी है जो उत्तराखण्ड में सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व रखती है। वनस्पतियों, जीव–जन्तुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता एवं एकता को रखने, पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण सम्बन्धी अन्य मामलों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जिलों में फैले 5860. 69 वर्ग कि0 मी0 में नन्दा देवी जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1988 में की। वन्य जीव अधिनियम 1972 अधिनियम संख्या–53 वन–1972 की धारा 35 की उपधारा 1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 2130/14.3.35/80,दिनाँक 18 अगस्त, 1980 के अंतर्गत अवस्थित किया गया था।[16] नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा फूलों की घाटी को क्रमशः 1988 तथा 2005 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया।

अतः भारत के साथ–साथ यूनेस्को तथा आई.एम. एफ. जैसे विश्व स्तरीय संगठनों के लिए भी नंदादेवी जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संरक्षण हेतु इस क्षेत्र को 1939 में अभ्यारण्य घोषित किया गया । सन् 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के कारण यहाँ पर्यटन तथा पर्वतारोहण के लिए कुछ नियंत्रण लगाये गये। मात्र 5 वर्षों के बाद 1988 में इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया जिससे स्थानीय लोगों पर भी ईंधन ,चारण सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा दिये गये।

दिनाँक 7 फरवरी 2000 को सरकार ने नंदादेवी जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र की सीमा 2236.74 वर्ग किमी से बढ़ाकर 5860.69 वर्ग किमी कर दी। इसके केन्द्रीय भाग कोर जोन को दो भागो में बांटा जा सकता है–

1. नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान–624.61 वर्ग किमी,
2. फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान–87.5 वर्ग किमी।

नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान मे स्थानीय लोगों के प्रतिबन्ध लगने के कारण ईंधन, चारन सम्बधी समस्या होने लगी । स्थानीय लोगों के वन आवश्यक हैं तो मनुष्य का जीवित रहना भी आवश्यक है इनका विरोध बढ़ता रहा जिसने आगे चलकर छीनो–झपटो आन्दोलन का रूप ले लिया, जिससे रैणी, लाता, तोलिया, आदि गांवो की जनता ने वनों पर परम्परागत हक बहाल तथा नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान का प्रबन्धन ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारम्भ किया और 15 जुलाई को समीपवर्ती गांव के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान में घुस गये। अतः आन्दोलन को छीनो–झपटो का नाम दिया गया।

पर्यटन की विपुल सम्भावनाओं से युक्त उत्तराखंड की मनोरम वादियों को कुदरत ने जो नैसर्गिक सौन्दर्य दिया है, उस प्राकृतिक वातावरण में गगनचुम्बी हिमाच्छादित पर्वत शिखर, दुर्गम पहाड़, ग्लेशियर और सदावाहिनी नदियों के नयनाभिराम दृश्यों तथा राष्ट्रीय पार्कों व अभ्यारण्यों ने पर्यटकों में नया जोश और उमंग भरकर हमेशा चुनौती भरा आमंत्रण दिया है। यही कारण है, कि यहाँ के प्राकृतिक वातावरण से मंत्रमुग्ध होकर, पर्यटक यात्रा की सारी थकान भूलकर दुर्गम क्षेत्रों में जाने को लालायित हो उठता है।[17]

हिमालय के अलौलिक सौन्दर्य के कारण उत्तराखण्ड अनादि काल से ही पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता रहा है। एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के साथ ही यह राज्य पर्यटकों एवं बाह्य पर्यवेक्षकों की दृष्टि में अपनी एक विशेष पहचान बना चुका है। राज्य के आर्थिक विकास एवं उन्नति में पर्यटन को प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाने लगा है। पर्यटन ने न केवल रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ायें हैं, बल्कि यह राजस्व के प्रमुख स्रोत के रूप में भी उभरकर सामने आया है।

उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय पार्कों और उद्यानों में पर्यटन की बहुत अधिक संभावनाएँ हैं। पर्वतारोहण, शिलारोहण, रीवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ट्रैकिंग, पैरा ग्लाइडिंग, गुब्बारे की उडान, वन्य प्राणी पर्यटन एवं प्राकृतिक पर्यटन के लिए केवल देश से ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों का रूख करते हैं। उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी को हिमाचल से जोड़ने वाला श्रृंगकंठ दर्रा, उत्तरकाशी को ही तिब्बत से जोड़ने वाला थांगला व मुलिंग ला दर्रा, चमोली जिले को तिब्बत से जोड़ने वाले माणा, नीति, कुंगरी–बिंगरी व दारमा दर्रे तथा बागेश्वर व पिथौरागढ को जोड़ने वाला ट्रेल पास, पिथौरागढ व तिब्बत के मध्य लिपुलेख, चमोली व पिथौरागढ़ के बीच बाराहोती आदि भी पर्यटन के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं।[18] केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, कल्पनाथ, अनुसूया देवी, हेमकुंड, लोकपाल, पूर्णागिरि,

चन्द्रबदनी, सुरकण्डा देवी आदि केन्द्र धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हैं।

इस उद्यान में प्रमुख वन्य जीव बाघ, हिम तेंदुआ, भूरा भालू तथा घोराल हैं। देवदार, नीला पाइन, फर, बाँस, बुराँश, मोरू तथा जेनिफर यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में स्थित एक बहुत मनोरम फूलों की घाटी है, जो देशी ही नहीं विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। इस उद्यान में हजारों प्रकार के अनोखे फूल हैं। जिसमें प्रमुख रूप से ब्रह्मकमल, फेनकमल, कोबरा, लिली, बिच्छूफन व सिन्दूरी लिली है। इस उद्यान में फूलों का आकर्षण तो है ही, कस्तूरी मृग, हिमालयन भालू आदि भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ कस्तूरी मृग, हिमालयन भालू, मोनाल आदि पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र हैं। भोजपत्र, देवदार आदि वनस्पतियों का सौन्दर्य भी देखने योग्य है। गोविन्द राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरकाशी में कस्तूरी मृग, भूरा भालू, हिम तेंदुआ तथा मोनाल, कोयल आदि पशु–पक्षी एवं देवदार, बाँस, भोजपत्र आदि वनस्पतियाँ आकर्षण का केन्द्र हैं।[19]

उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को पल्लवित–पुष्पित करने के लिए इन राष्ट्रीय उद्यानों के अतिरिक्त कुछ वन्य जीव विहार भी हैं। केदारनाथ वन्य जीव विहार जो कि चमोली जिले में स्थापित है, में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कस्तूरी मृग, तेंदुआ, बाघ जैसे पशु, हिंवाल व मोनाल जैसे दुर्लभ पक्षी तथा खूबसूरत अल्पाइन घास के मैदान हैं, बाँज, खिर्सू, मोरू, बुराँश तथा बलूत यहाँ के प्रमुख वृक्षों में हैं। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में मालन वन्य जीव विहार एक सुन्दर वनाच्छादित क्षेत्र है। इसका विस्तार मुख्य रूप से भाबर व शिवालिक की अजीव प्रजातियों के साथ साल, सागौन, शीशम तथा बाँस की वानस्पतिक प्रजातियाँ भी हैं। बिनसर वन्य जीव विहार अल्मोडा में है। यहाँ तेंदुआ, भालू, धरड, काखड व जंगली बिल्ली पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र हैं। अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ जिले में है। यहाँ हिम बाघ, भालू, कस्तूरी मृग आदि वन्य जीव पाए जाते हैं।[20]

पर्यटन उत्तराखण्ड राज्य की आर्थिकी का महत्वपूर्ण भाग है। यहा पर अनेक राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण क्षेत्र है, जहाँ पर पर्यटन की अनेकानेक सम्भानाएँ है। अतः ऐसी स्थिति में यहाँ की सरकार एवं नागरिक समुदाय को मिलाकर ऐसी पर्यटन नीति विकसित करने की आवश्कता है, जो कि समावेशी विकासोन्मुख हो, इस लिहाज से पर्यटन के नैतिक सिद्धाँत अत्यन्त आवश्यक हो जाते है। अतः पर्यटन के लिए पर्यटकों एवं समाज को इनका पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। जैसे– प्रजातंत्र एवं शांति, एकजुटता, समान अधिकार, अनेकता का सम्मान, विश्व पर्यटन व्यवस्था में न्याय और प्राधिकृत सूचना आदि।[21]

उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग में चुनौतियाँ

उत्तराखण्ड राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्यों में पर्यटकों को आकर्षित करने वाली अपार प्राकृतिक सौन्दर्य के संसाधनों तथा राज्य सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग में विकास हेतु उठाये गये विभिन्न कदमों के पश्चात् राज्य सरकार के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं[22]–

1. राज्य के राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्यों में पर्यटन उद्योग के विकास में सबसे बड़ी चुनौती इन पार्कों एवं अभ्यारण्यों को सम्पर्क मार्गों जैसे सड़क, रेल, तथा वायु मार्ग के माध्यम से जोड़ना अति आवश्यक है।
2. इन पार्कों तथा अभ्यारण्यों में पर्यटकों के लिए मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का विकास जैसे भोजन की समुचित व्यवस्था, व्यवस्थित आवास, संचार, लक्षित स्थानों तक पहुँचने के लिए वाहनों की व्यवस्था आदि किये जाने की आवश्कता है।
3. पर्यटकों को आकर्शित करने तथा प्रत्येक मौसम में वर्ष–भर आवाजाही के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना ।
4. उत्तराखण्ड के पर्यटन उद्योग को विश्व पटल पर लाने के लिए एक सुनियोजित तथा व्यापक रणनीति तैयार करना।
5. इन राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों को तीर्थाटन एवं धार्मिक स्थानों के साथ जोड़ना।
6. इन पार्कों तथा अभ्यारण्यों के पर्यटकों के लिए सस्ता तथा सुविधाजनक आवास तथा अच्छा व्यंजन की व्यवस्था मुहैया कराना।
7. पर्यटन के विकास के लिए यह आावश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्रों की नियमावली तथा सेवा स्तर में इस प्रकार का सुधार करना जिसमें लोगों को असुविधा न हो।
8. राज्य में क्षेत्रीय तथा स्थानीय पर्यटक स्थलों का विकास करना।
9. पर्यटन उद्योग के प्रशासन तथा प्रबंधन को व्यावहारिक बनाना।
10. राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों मे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देना।
11. इन पार्कों तथा अभ्यारण्यो में घूमने हेतु आधुनिक सुविधाओं जैसे ट्वाय ट्रेन, आधुनिक मिनी गाड़ियाँ, मिनी स्कूटी, सफारी गाड़ी, यात्रियों के सहयोग के लिए अर्दली की व्यवस्था आदि का विकास करना।
12. इन राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों में पर्यटन उद्योग के विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा करना तथा वन्यजीव तथा वन्य वनस्पतियों का संरक्षण करना, जैस– ट्रेकिंग रूट/वन मोटर मार्ग/ब्राइडल पाथों का रखरखाव, वन विश्राम भवनों का रखरखाव, पिकनिक स्पाट का रखरखाव, बाटेनिकल गार्डन का रखरखाव आदि।
13. स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं में कमशः थीम आधारित परिपथों जैसे गंगा परिपथ, जनजातीय परिपथ, वन्यजीव परिपथ,मरूस्थल परिपथ इत्यादि।
14. मुख्य पर्यटन गंतव्यों पर वाई– फाई ई–मेल सुविधा उपलब्धता।
15. सुरक्षा और संरक्षा पर जोर के साथ विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए बहु भाषी मोबाइल ऐप–1 वर्ष के अंदर।

16. तीन वर्षों में अतुल्य भारत वेब पोर्टल की साम्रगी को 1700 पृष्ठों से 100,000 तक बढ़ाना।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या का दबाव हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ेगा। बढ़ते पर्यटन के साथ ही आवश्यकता होगी अधिक उर्जा, अधिक पानी, पर्याप्त सफाई और बेहतर प्रबंधन की और साथ ही यह समझने कि यदि इन मुद्दों पर गंम्भीरता से ध्यान नही दिया गया तो आगे यह न केवल हमारे पर्यटन उद्योग पर वरन् हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होंगे।

उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्यों में पर्यटन की संभावनाएँ

वन्यजीव अवलोकन

कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, नन्दादेवी राष्ट्रीय उद्यान, एवं गोविन्द पशु विहार वन्यजीवों के अवलोकन के लिए बहुत अधिक संभावनाए हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अतिरिक्त किसी भी उद्यान में पर्यटकों के लिए मूलभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन केन्द्रों पर सुविधायुक्त आवासीय एवं खान–पान की सुविधाएँ उपलब्ध करके पर्यटन उद्योग को और विकसित किया जा सकता है।

स्वास्थ्य लाभ एवं मनोरंजन

उत्तराखण्ड के इन राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के प्राकृतिक सौंदर्य एवं शुद्ध वातावरण लोगों को स्वास्थ्य लाभ एवं मनोंरजन के लिए अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, इसके लिए सरकार को इन केन्द्रो पर पर्यटको के लिए आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। यथा– लोगों के लिए आवास, भोजन तथा यातायात के साधन इत्यादि।

तीर्थाटन से जोड़ना

राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों को यहाँ के तीर्थ स्थानों के साथ जोड़ कर पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है। कुछ स्थानो पर यात्री वर्षभर आते है वहाँ पर प्रचार माध्यमों से अन्य स्थानो की जानकारी दी जा सकती हैं। जिससे अन्य स्थानो पर भी पर्यटन उद्योग का विकास हो सकता है।

हर्बल टूरिज्म

उत्तराखण्ड का हिमालय क्षेत्र जड़ी–बूटियों का भण्ड़ार है और भविष्य में हर्बल टूरिज्म उत्तराखण्ड का प्रमुख व्यवसाय बन सकता है। जैसे– डॉ0 सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन मुनि की रेती, फूलों की घाटी, नन्दादेवी वायोरिजर्व पार्क, फूलों की घाटी, नन्धोर, पावलगढ़ आदि।

फिल्म नीति

उत्तराखण्ड सरकार को इन राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में फिल्मकारों को फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन स्थानो पर फिल्म की शूटिंग के लिए योजनाबद्व नीति एवं सुविधाजनक वातावरण की व्यवस्था करना है।

रोजगार

उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन उद्योग में कैरियर बनाया जा सकता है। इनमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार की व्यापक संभावनाएँ है।

आय का क्षेत्र

राज्य में पर्यटकों की बढ़ती संख्या, हमारे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ–साथ सकल घरेलू उत्पाद में इजाफा होगा और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित होगीं।

निष्कर्ष

उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्यों में चुनौतियां होते हुये भी पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। पर्वतारोहण, शिलारोहण, रीवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ट्रैकिंग, पैरा ग्लाइडिंग, गुब्बारे की उडान, वन्य प्राणी पर्यटन एवं प्राकृतिक पर्यटन के लिए केवल देश से ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों का रूख करते हैं। उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी को हिमांचल से जोड़नें वाला श्रृंगकंठ दर्रा, उत्तरकाशी को ही तिब्बत से जोड़ने वाला थांगला व मुलिंग ला दर्रा, चमोली जिले को तिब्बत से जोडने वाले माणा, नीति, कुंगरी–बिंगरी व दारमा दर्रे तथा बागेश्वर व पिथौरागढ़ को जोडने वाला ट्रेल पास, पिथौरागढ़ व तिब्बत के मध्य लिपुलेख, चमोली व पिथौरागढ़ के बीच बाराहोती आदि भी पर्यटन के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं।केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, कल्पनाथ, अनुसुईया देवी, हेमकुंड, लोकपाल, पूर्णागिरि, चन्द्रबदनी, सुरकण्डा देवी आदि केन्द्र धार्मिक आस्थाओं से जुडे हैं। किंतु अभी तक समन्वित तथा नियोजित ढंग से पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के अभाव में इस व्यवसाय का आशानुरूप विकास नहीं हो सका है। जिसके लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट devbhoomi.uk. gov.in, censusindia.gov.in
2. उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट devbhoomi. uk. gov. in, censusindia.gov.in
3. पुरोहित,के0 सी0, पर्यावरण और पारिस्थितिकी,विनसर पब्लिशिंग कं0,देहरादून–2006, पृष्ठ– 429– 30।
4. नेगी, ए0 एस0, संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा, राष्ट्रीय उद्यान तथा बायोस्फियर रिजर्व,उत्तरांचल वन विभाग, नटराज पब्लिशर्स, देहरादून, 2001। पृष्ठ संख्याः 11।
5. पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्याः 12।
6. पुरोहित,के0 सी0,पर्यावरण और पारिस्थितिकी, विनसर पब्लिशिंग कं0,देहरादून–2006,पृष्ठ– 429– 30।
7. पूर्वोक्त, संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा, पृष्ठ संख्याः 14।
8. वही, पृष्ठ संख्याः 15।
9. नौटियाल, शिवानन्द, भारत के वन्य जीव विहार, नव प्रभात प्रिटिंग प्रेस,दिल्ली–1996,पृष्ठ संख्या–118।
10. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972, संशोधित–2002 व वन अपराध दीपिका, प्रकाशन सेन्टर फॉर फॉरेस्ट्री डेवलपमेण्ट, हल्द्वानी।
11. नौटियाल, शिवानन्द, भारत के वन्य जीव विहार, नव प्रभात प्रिटिंग प्रेस, दिल्ली–1996,पृष्ठ संख्या–118।
12. संख्या–व0जी05/ग–2–2010–19(34)/2008 उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, दिनांक–26 फरवरी ,2010 देहरादून।

13. संख्या—3807 / ग—2—2013—19(7) / 2002 उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—2, दिनांक—14, सितम्बर 2013 देहरादून।
14. संख्या—3912 / 14—3—35 / 80, उत्तर प्रदेश सरकार वन अनुभाग—3, दिनांक—6 सितम्बर 1982 लखनऊ ।
15. प्रबंध योजना, 2000—01 से 2009—10 राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, पृष्ठ सं0—01।
16. वन एवं पर्यटन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
17. नौटियाल, शिवानन्द, भारत के वन्य जीव विहार, नव प्रभात प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली—1996,पृष्ठ संख्या—118।
18. वही । पृष्ठ संख्याः 113
19. हरिमोहन, उत्तरांचल में पर्यटन, 2003, नये क्षितिज, पृष्ठ सं0—13 तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली,।
20. वही।
21. रावत, ताज, पर्यटन का प्रभाव एवं प्रबंधन, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली—2004, पृष्ठ संख्या—227।
22. वन एवं पर्यटन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।